भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2069
दिनांक 11 मार्च, 2025/ 20 फाल्गुन,1946 (शक) को उत्तर के लिए

नए आपराधिक कानून के अंतर्गत निष्पक्ष न्याय

2069. श्री शंकर लालवानी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) फास्ट ट्रैक न्यायिक प्रक्रिया हेतु नए आपराधिक कानून में क्या प्रावधान किए हैं; और
(ख) भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता से प्रतिस्थापित करने के क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) और (ख): भारत के विधि आयोग ने अपनी विभिन्न रिपोर्टों में आपराधिक कानूनों में खंड-विशिष्ट संशोधनों की सिफारिश की थी। बेजबरुआ समिति, विश्वनाथन समिति, मलीमथ समिति, माधव मेनन समिति आदि जैसी समितियों ने भी आपराधिक कानूनों में खंड-विशिष्ट संशोधनों और आपराधिक न्याय प्रणाली में सामान्य सुधारों के लिए सिफारिशें की थीं।

गृह मंत्रालय की विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 111वीं (2005), 128वीं (2006) और 146वीं (2010) रिपोर्टों में संबंधित अधिनियमों में एक-एक करके संशोधन करने की बजाय संसद में एक विस्तृत विधान प्रस्तुत करके देश की आपराधिक न्याय प्रणाली की गहन समीक्षा करने की सिफारिश की थी।

तदनुसार, गृह मंत्रालय ने सभी को सुलभ और कम खर्च पर न्याय प्रदान करने तथा नागरिक केंद्रित विधिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से आपराधिक कानूनों अर्थात् भारतीय दंड संहिता, 1860, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की गहन समीक्षा की थी। उपर्युक्त तीनों अधिनियमों का निरसन करके उन्हें क्रमशः तीन नए कानूनों नामतः भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए), 2023 के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

नए कानूनों में त्वरित न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित प्रावधानों का ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

i. त्वरित और निष्पक्ष निपटान: नए कानून, मामलों के त्वरित और निष्पक्ष निपटान का भरोसा देते हैं, जिससे विधिक प्रणाली में विश्वास उत्पन्न होता है। प्राथमिक जांच (14 दिन में पूरी की जानी), बाद की जांच (90 दिन में पूरी की जानी), पीड़ित और दोषी को दस्तावेज उपलब्ध कराना (14 दिन के भीतर), विचारण हेतु किसी मामले की प्रतिबद्धता (90 दिन के भीतर), डिस्चार्ज एप्लीकेशन भरना (60 दिन के भीतर), आरोप तय करना (60 दिन के भीतर), निर्णय देना (45 दिन के भीतर) और दया याचिका दायर करना (राज्यपाल के समक्ष 30 दिन में और राष्ट्रपति के समक्ष 60 दिन में) जैसे जांच और विचारण के महत्वपूर्ण चरणों को सुव्यवस्थित करके निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरा किए जाने का प्रावधान किया गया है।

ii. त्वरित जांच: नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गई है, जिससे सूचना दर्ज होने के दो महीने के भीतर जांच पूरी होना सुनिश्चित हो सके।

iii. सीमित स्थगन: मामले की सुनवाई में अनावश्यक देरी से बचने के लिए न्यायालय अधिकतम दो स्थगन प्रदान कर सकते हैं, जिससे समय पर न्याय सुनिश्चित होता है।

****